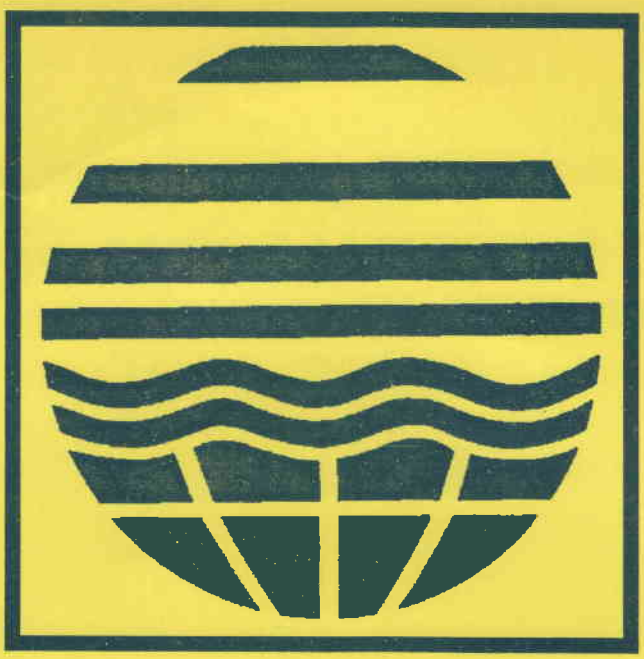

वार्षिक प्रतिवेदन

2001-2002

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2001-2002

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यन्त आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति-निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है :

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5. लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव तथा 14 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :

1. श्रीमती कृष्णा भट्नागर, अध्यक्ष
2. श्री सी.एस. रत्नासामी, सदस्य-सचिव
3. पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि (उप सचिव के स्तर का)
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर

6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

7. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9. महापौर, नगर निगम, जोधपुर

10. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर

11. अध्यक्ष नगर परिषद्, ब्यावर (अजमेर)

12. अध्यक्ष, नगर पालिका, मकराना (नागौर)

13. श्री जे.पी. कपूर, सेवानिवृत्त चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट एवं पूर्व विशेषाधिकारी, पर्यावरण विभाग तथा पूर्व बोर्ड सदस्य

14. डॉ. (श्रीमती) विमलेश चौधरी, जोधपुर

15. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर

16. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), जयपुर

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 9 स्थानों पर इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, जो तकनिकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं। राज्य मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की तीन बैठकें दिनांक 21.04.2001, 24.09.2001 एवं 30.01.2002 को आयोजित हो गई।

मण्डल की गतिविधियां

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय अपशिष्टों हेतु प्राधिकार, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियम में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

सम्मति प्रबंधन

सम्मति की प्रकृति	1.4.2001 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	31.03.2002 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
स्थापना (जल अधिनियम)	93	628	721	553	168
स्थापना (वायु अधिनियम)	81	642	723	618	105
संचालन (जल अधिनियम)	476	3,409	3,885	2,560	1,325
संचालन (वायु अधिनियम)	405	2,510	2,915	2,306	609

परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधित कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :

1.04.2001 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	97
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	99
वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	62
परिसंकटमय अपशिष्ट के निष्पादन हेतु स्वयं के परिसर में वर्ष के दौरान सुरक्षित निष्पादन स्थल विकसित करने वाली इकाईयों की संख्या	8

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष के दौरान कुल 2,282 निरीक्षण किये गये। इस दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित विभिन्न प्रकार के नमूनों का विवरण निम्नानुसार है :

नमूने का प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
उच्छिष्ठ/जल	1,688
उत्सर्जन/वायु	22,368

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

इस केन्द्र में वर्ष के दौरान कुल 128 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 49 शिकायतों के संबंध में अंतिम कार्यवाही वर्ष के दौरान ही पूर्ण की गई, जबकि शेष शिकायतों में निरीक्षण, जांच इत्यादि कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर जारी थी।

राज्य मण्डल द्वारा **ओजोन क्षरण सब्सटैंस** विषय पर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओजोन सैल के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29.11.2001 को किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगों के प्रतिनिधियों एवं विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

श्री अग्रसेन विद्यालय, जामडोली के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 14.08.2001 एवं कनोडिया महाविद्यालय की छात्राओं को दिनांक 07.01.2002 को पर्यावरण एवं मण्डल के क्रियाकलापों की जानकारी दी गई।

सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

1. जोधपुर में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र हेतु स्थापित ट्रस्ट द्वारा संयंत्र निर्माण हेतु कार्य आदेश दिनांक 09.04.2001 को जारी किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार संयंत्र का निर्माण 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है। राज्य मण्डल ने ट्रस्ट को दिनांक 07.08.2001 को 2.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

2. जसोल में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मण्डल द्वारा स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की जा चुकी है। राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 07.08.2001 को 50.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है एवं सामुदायिक उच्छिष्ठ संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाओं के विश्लेषण का कार्य ट्रस्ट स्तर पर किया जा रहा है।

3. बिठुजा के सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु ट्रस्ट ने नीरी, नागपुर द्वारा तैयार फिजिबिलिटी रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत कर दी है। ट्रस्ट ने सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु 42 बीघा जमीन खरीद ली है, किन्तु ट्रस्ट द्वारा सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के पूर्ण तकनिकी विवरण एवं लागत के संबंध में अनुमानित राशि के संबंध में दस्तावेज प्रेषित नहीं करने के कारण राज्य मण्डल द्वारा कोई राशि जारी नहीं की जा सकी।

4. जयपुर के निकट मानपुर माचेड़ी गांव में चमड़ा उद्योगों हेतु एक सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसके शीघ्र ही प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

जन-सुनवाई

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.1997 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रस्तावित उद्योगों/परियोजनाओं के संदर्भ में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया :—

1. आई.ओ.सी., सलाया-मथुरा क्रूड पाईप लाईन परियोजना
2. सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ (स्टेज-तृतीय)
3. श्रीमती चन्द्रा कुमारी, चित्तौड़गढ़
4. एस. केमरोज लिमिटेड, उदयपुर
5. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, दौसा
6. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, सांगानेर, जयपुर
7. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, मालपुरा, टौंक
8. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, ब्यावर, अजमेर
9. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, किशनगढ़, अजमेर
10. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, अजमेर
11. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, बहरोड़, अलवर
12. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, जैतारण, पाली
13. इण्डिन ऑयल कॉरपोरेशन, आबू रोड, सिरोही
14. आदित्य सीमेंट पावर प्लांट, चित्तौड़गढ़
15. बिड़ला कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयसुरजाना माइन्स, चित्तौड़गढ़

प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में मण्डल द्वारा 19 सिफारिशें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एक सिफारिश पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई।

कानूनी कार्यवाही

जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दायर किये गये वादों का विवरण :

1. मैसर्स स्वास्तिक गैसेज, दौसा — धारा 33 के तहत
2. मैसर्स राजस्थान ब्रेवरीज लि., बहरोड़ — धारा 44-47 के तहत

3.	मैसर्स राजस्थान ब्रेवरीज लि., बहरोड़	धारा 33 के तहत
4.	मैसर्स कश्मीरी लाल सुशील कुमार जैन, भिवाड़ी	धारा 33 के तहत

वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत दायर किये गये वादों का विवरण :-

1.	मैसर्स दीवा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., भिवाड़ी	धारा 22 (अ) के तहत
2.	मैसर्स दीवा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., भिवाड़ी	धारा 37, 38 एवं 39 के तहत
3.	मैसर्स बिहारी जी स्टोन क्रेशर, डीग	धारा 22 (अ) के तहत

जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत इकाईयों के विरुद्ध दायर वादों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का विवरण :

क्र.सं.	इकाई का नाम	अधिनियम	निर्णय
1.	मैसर्स मधुबन केमिकल्स, उदयपुर	वायु	दो वर्ष का कारावास, कुल रुपये 80,000 का अर्थ दण्ड।
2.	मैसर्स उदयपुर फास्फेट एण्ड फर्टीलाईजर्स लि., उदयपुर	वायु	तीन माह का कारावास। कुल 1,02,500 का अर्ध दण्ड।
3.	मैसर्स परफैक्ट थ्रेड, उदयपुर	जल	दो वर्ष का कारावास। कुल रुपये 25,000 का अर्थ दण्ड।

मण्डल द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 15 इकाईयों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 (अ) एवं वायु अधिनियम की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. विदेश प्रशिक्षण :

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि		प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक	
1.	स्पेशियल एनवायरमेंटल प्लानिंग सिस्टम ट्रेनिंग एट देहली एण्ड यूरोप (जर्मनी, आस्ट्रिया एण्ड नीदरलैण्ड्स)	11.06.2001	14.07.2001	श्री वी.के. सिंहल, पर्या.अभि.

2. विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत राज्य मण्डल के भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची :

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि		प्रशिक्षण देने वाली संस्था	प्रशिक्षण में भाग लेने वाली अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक		
1.	एनवायरमेंटल प्लानिंग स्ट्रेटजी एण्ड पॉलिसी	04.03.2002	08.03.2002	स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी-67, न्यू दिल्ली	1. डॉ. ए.के. भार्गव, वरि.पर्या.अभि. 2. श्री ए.एल. माथुर, पर्या.अभि. 3. श्री जे.के. कपूर, पर्या.अभि. 4. श्री एम.सी. रस्तोगी, पर्या.अभि. 5. श्री डी.सी. शर्मा, वरि.वै.अधि.
2.	स्ट्रीमलाइनिंग एनवायरमेंटल प्रोसीजर्स	11.02.2002	15.02.2002	एडमिनिस्ट्रेडिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इण्डिया (ए.एस.सी.आई.) बेला विस्टा, राजभवन रोड, हैदराबाद	1. श्री वी.के. मालवीय, पर्या.अभि.
3.	लीगल/रेग्यूलेटरी फ्रेम वर्क एण्ड एनवायरमेंटल प्रोसीजर्स	11.03.2002	15.03.2002	एडमिनिस्ट्रेडिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इण्डिया (ए.एस.सी.आई.) बेला विस्टा, राजभवन रोड, हैदराबाद	1. श्री डी.सी. शर्मा, वरि.वै.अधि. 2. श्री एस.के. शुक्ला, विधि अधि. 3. श्री एम.के. अग्रवाल, विधि अधि.
4.	फाइनेन्सियल मैनेजमेंट	04.02.2002	08.02.2002	मैनेजमेंट डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, महरौली रोड, सुखराली, गुडगांव	1. श्री वी.के. मालवीय, पर्या.अभि. 2. श्री ओम प्रकाश, वरि.लेखाधि.

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि		प्रशिक्षण देने वाली संस्था	प्रशिक्षण में भाग लेने वाली अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक		
5.	एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट	04.02.2002	08.02.2002	सेन्टर फोर एनवायरमेंटल साइंस एण्ड इंजिनियरिंग (सी.ई.एस.ई.) इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (आई.आई.टी.)	1. श्री एम.सी. रस्तोगी, पर्या.अभि. 2. श्री एम.एम. गोयल, पर्या.अभि.
	इन्क्लूडिंग लीगल/ रेग्यूलेटरी वर्क	11.03.2002	15.03.2002		1. श्री ए.के. गुप्ता, पर्या.अभि. 2. श्री टी.एस. राणावत, पर्या.अभि.
6.	अण्डरस्टडिंग प्रोसेज यूनिट ऑपरेशन्स एण्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन	28.01.2002	01.02.2002	सेन्ट फोर एनवायरमेंटल साइंस एण्ड इंजिनियरिंग (सी.ई.एस.ई.) इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (आई.आई.टी.), पवई, बोम्बे	1. श्री वी.के. मालवीय, पर्या.अभि. 2. श्री एम.एम. गोयल, पर्या.अभि. 3. श्री भुवनेश माथुर, सहा.अभि. 4. श्री.ए.के. गुप्ता, पर्या.अभि.
7.	एयर पोल्यूशन एण्ड इट्स कन्ट्रोल	28.01.2002	01.02.2002	एनवायरमेंटल प्रोटक्शन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, (ई.पी.टी.आर.आई.), 91/4, गाछीबावली, हैदराबाद	1. श्री जगदीश सिंह, पर्या.अभि. 2. श्री टी.एस. राणावत, पर्या.अभि.
8.	वाटर पोल्यूशन एण्ड इट्स कन्ट्रोल	04.02.2002	08.02.2002	डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजिनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजिनियरिंग ग्रुप, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, हौज खास, न्यू देहली	1. श्री एस.पी. सिंह, पर्या.अभि. 2. श्री एच.आर. कसाना, सहा.अभि. 3. श्री राजीव मेहनोत, सहा.अभि. 4. श्री राजीव पारीक, पर्या.अभि. 5. श्री ओ.पी. गुप्ता, सहा.अभि.

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि		प्रशिक्षण देने वाली संस्था	प्रशिक्षण में भाग लेने वाली अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक		
9.	वेस्ट मैनेजमेंट (म्यूनिसिपल, हजार्डियस एण्ड बायो मेडिकल)	11.02.2002	15.02.2002	सेन्टर फोर एनवायरमेंटल साइंस एण्ड इंजिनियरिंग (सी.ई.एस.ई.) इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (आई.आई.टी.), पवई, मुम्बई	1. श्री एस.के. शुक्ला, विधि अधि. 2. श्री एम.के. अग्रवाल, विधि अधि. 3. श्री वी.के. सिंहल, पर्या.अभि. 4. श्री एम.सी. शर्मा, पर्या.अभि. 5. श्री के.सी. गुप्ता, सहा.अभि.
10.	नोइज पोल्यूशन एण्ड इट्स कन्ट्रोल	04.03.2002	08.03.2002	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रीयल इंजिनियर (एन.आई. टी.आई.ई.) विहार लोक, मुम्बई	1. श्री राजीव पारीक, पर्या.अभि. 2. श्री नवीन व्यास, सहा.अभि. 3. श्री नीरज माथुर, सहा.अभि.
11.	एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम (आई.एस.ओ. 14001)	11.02.2002	15.02.2002	टी.यू.वी. सुडुट्सलेण्ड इण्डिया प्रा.लि., 143, उदय पार्क, द्वितीय तल, न्यू देहली	1. श्री बी.एस. शर्मा, सहा.अभि. 2. श्री आर.सी. तोमर, सहा.अभि. 3. श्री विक्रम सांखला, सहा.अभि. 4. श्री आर.बी. मौर्य, सहा.अभि.
12.	रिस्क असेस्मेंट	18.02.2002	22.02.2002	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इण्डिया (ए.एस.सी.आई.) बेला विस्टा, राजभवन रोड, हैदराबाद	1. श्री जगदीश सिंह, पर्या.अभि. 2. श्री आर.बी. मौर्य, सहा.अभि. 3. श्री रजनीश जैन, सहा.अभि. 4. श्री राकेश माथुर, सहा.अभि.

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि		प्रशिक्षण देने वाली संस्था	प्रशिक्षण में भाग लेने वाली अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक		
13.	जी.आई.सी. एण्ड डी.एस.एस.	11.03.2002	15.03.2002	नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेन्सी (एन.आर. एस.ए.), डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार, बाला नगल, हैदराबाद	1. श्री ओ.पी. गुप्ता, सहा.अभि. 2. श्री के.सी. गुप्ता, सहा.अभि. 3. श्री रजनीश जैन, सहा.अभि. 4. श्री राकेश माथुर, सहा.अभि.
14.	लेबोरेट्री टेक्निक्स एण्ड मैनेजमेंट	04.02.2002	15.02.2002	एनवायरमेंटल प्रोटक्शन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 91/4, गाछीबावली, हैदराबाद	1. श्री बी.पी. पारीक, कनि.वैज्ञा.अधि. 2. श्री सी.एस. शर्मा, जे.एस.ओ. 3. श्री गोपाल सिंह, एस.एस.ए. 4. श्री अर्जुन चौधरी, जे.एस.ओ. 5. श्री अरूण शर्मा, जे.एस.ओ.
		04.02.2002	15.02.2002	इण्डस्ट्रीयल टोक्सीकोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	1. डॉ. ए.के. माहेश्वरी, वरि.वैज्ञा.अधि.
15.	लेबोरेट्री टेक्निक्स एण्ड मैनेजमेंट	11.02.2002	15.02.2002	एनवायरमेंटल प्रोटक्शन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 91/4, गाछीबावली, हैदराबाद	1. श्री आर.पी. वर्मा, जे.एस.ओ. 2. श्री के.के. जैथ्लया, एस.एस.ए. 3. श्री एम.बी. शर्मा, वैज्ञा.अधि. 4. श्री आर.के. शर्मा, जे.एस.ओ.
16.	लेबोरेट्री टेक्निक्स एण्ड मैनेजमेंट	4.3.02	15.3.02	एनवायरमेंटल प्रोटक्शन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 91/4, गाछीबावली, हैदराबाद	1. श्री एस.एल. जांगिड, एस.एस.ए. 2. श्री एस.एन. टिक्कीवाल, एस.एस.ए. 3. श्री एच.एम. माथुर, वैज्ञा.अधि. 4. श्री एस.एल. जाट, एस.एस.ए. 5. श्री एन.के. माथुर, वैज्ञा.अधि. 6. श्री संजय पालीवाल, जे.एस.ए. 7. श्रीमती आभा टाक, एस.एस.ए. 8. श्री आर.के. गौड, वरि.वैज्ञा.अधि.

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि		प्रशिक्षण देने वाली संस्था	प्रशिक्षण में भाग लेने वाली अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक		
17.	वर्कशॉप ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ लेबोरेट्री गाइडेंस मेन्यूअल	11.2.02	15.2.02	मै. ईको मैन कन्सलटेंट्स प्रा.लि., लखनऊ	1. श्री डी.सी. शर्मा, वरि.वैज्ञा.अधि. 2. श्री एन.के. माथुर, वैज्ञा.अधि. 3. श्री ए.के. माहेश्वर वरि.वैज्ञा.अधि.

3. अन्य प्रशिक्षण :

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि		प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी के नाम
		दिनांक से	दिनांक तक	
1.	वर्कशॉप ऑन बायोमेडिकल वेस्ट	09.10.2001	10.10.2001	श्री ए.के. भार्गव, वरि.पर्या.अभि.
2.	वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डवलपमेंट एण्ड वैस्टर्न रीजनल कंसलटेटिव वर्कशॉप	02.01.2002	02.01.2002	श्री एम.सी. शर्मा पर्या.अभि.
3.	वर्कशॉप ऑन ओपरेशन एण्ड मेंटीनेंस ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज इन सीमेंट इंडस्ट्रीज	09.01.2002	10.01.2002	श्री टी.एस. राणावत पर्या.अभि.
4.	वर्कशॉप ऑन लेबोरेट्री अक्रडिशन	08.06.2001	08.06.2001	श्री डी.सी. शर्मा, वरि.वैज्ञा.अधि.
5.	वर्कशॉप ऑन लेबोरेट्री अक्रडिशन	08.06.2001	08.06.2001	श्री ए.के. माहेश्वरी, वरि.वैज्ञा.अधि.

विविध गतिविधियाँ

1. मण्डल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वित्तीय एवं तकनिकी सहयोग से विश्व बैंक के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजक्ट के अन्तर्गत 'जोनिंग एटलस' फोर साइटिंग ऑफ इण्डस्ट्रीज (पर्यावरणीय दृष्टि से) परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं बारां जिलों के जोनिंग एटलस का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। इस परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में इण्डस्ट्रीयल ऐस्टेट प्लानिंग का कार्य भी जारी रहा।

2. मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भिय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिये नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रिकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है।

3. मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 15 चुनिन्दा स्थानों पर परीवेशीय वायु की गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है।

4. विश्व बैंक की सहायता से राज्य मण्डल के सुदृढ़िकरण के लिए जारी परियोजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न के लिए सहायता प्राप्त रही है :

अ. प्रशिक्षण

ब. मोनिटरिंग एवं विश्लेषण उपकरण

स. प्रयोगशाला सुविधाएं

द. कम्प्यूटरीकरण (मैनेजमेंट इनफोरमेशन सिस्टम)

राज्य मण्डल को वर्ष 2001-2002 में 57.26 लाख मूल्य के 16 श्रेणी के उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष के अन्त तक राज्य मण्डल की केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं क्रमशः अलवर, कोटा, जोधपुर व उदयपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लगभग रुपये 327.80 लाख मूल्य के 33 श्रेणी के अनुश्रवण एवं विश्लेषण के लिए उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नतिकरण हेतु लघु सिविल कार्यों एवं उपकरणों के लिये रुपये 10.98 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 130.89 लाख प्रथम किश्त के रूप में जारी किये गये थे। तत्पश्चात् स्वीकृत की गई राशि को रुपये 4.27 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया। इसी अनुक्रम में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अतिरिक्त राशि रुपये 254.00 लाख भी उपलब्ध कराई गई।

राज्य मण्डल द्वारा अब तक प्रयोगशाला सुदृढ़िकरण सुविधाओं पर लगभग रुपये 110.43 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

राज्य मण्डल में कम्पयूटरीकरण एवं वेब साइट डवलपमेंट के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रुपये 165 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 148.5 लाख रुपये जारी किये गये। राज्य मण्डल ने उक्त कार्य के लिए राजस्थान स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्यूटर सर्विसेज (राजकॉम्प) से अनुबंध करार किया, जिसके अन्तर्गत 'राजकॉम्प' को राज्य मण्डल की कार्यवाही प्रक्रिया को सोफ्टवेयर द्वारा कागज रहित बना कर 'ऑन लाईन प्रोसेसिंग' की जावेगी। कम्प्यूटर लगाने व सोफ्टवेयर के निर्माण एवं वेब साइट बनाने का कार्य प्रगति पर है।

5. राज्य मण्डल द्वारा सम्मति के बिना चल रही औद्योगिक इकाईयों को सम्मति लेने के लिए बाध्य करने हेतु वर्ष के दौरान विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों के दौरान सम्मति आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं संबंधित जानकारी देने में पूर्ण सहयोग किया गया। राज्य मण्डल के प्रयासों के फलस्वरूप 2,463 उद्योगों ने शिविरों के दौरान सम्मति हेतु आवेदन किया।

6. राज्य मण्डल ने उद्योगों को हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 10.08.2001 को सम्मति की अवधि को लाल, नारंगी एवं अन्य श्रेणी के उद्योग के लिए क्रमशः 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 15 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इस आदेश के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी के अनुसार वांछित अवधि के लिए निर्धारित शुल्क जमा करा कर सम्मति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य मण्डल ने मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उद्योगों के किये जा रहे निरिक्षणों को भी सीमित कर दिया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

7. नारंगी एवं अन्य श्रेणी के उद्योगों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य मण्डल से सम्मति प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राज्य मण्डल ने इन दोनों श्रेणी के उद्योगों की सम्मति के नवीनीकरण हेतु एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

8. मार्बल, ग्रेनाइट एवं पत्थर प्रसंस्कृत करने वाले उद्योगों के सम्मति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राज्य मण्डल ने दिनांक 24.08.2001 को आदेश जारी किये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। इसी प्रकार सभी श्रेणी के होटलों की सम्मति प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 24.08.2001 एवं 31.12.2001 को आदेश प्रसारित किये गये। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

9. पत्थर पीसने वाले उद्योगों की सुविधा हेतु उक्त उद्योगों की एसोसियेशन आदि से विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् दिनांक 26.12.2001 को राज्य मण्डल द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

10. जयपुर के जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार/परिवहन/व्ययन हेतु एक जैव अपशिष्ठ उपचार एवं निपटान स्थल ग्राम कानोता के समीप विकसित किया गया है, जिसने हाल ही में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इसी प्रकार उदयपुर में जैव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार/व्ययन/निस्तारण हेतु नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा एक योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ठ हेतु चयनित स्थल के पास ही जैव चिकित्सा अपशिष्ठ का भी पृथक रूप से उपचार एवं निस्तारण किया जावेगा।

11. उदयपुर में ग्राम सवीना खेड़ा के पास नगरीय ठोस अपशिष्ठ के उपचार एवं व्ययन हेतु सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से स्थल का चयन कर लिया गया है। इसी प्रकार भीलवाड़ा में नगरीय ठोस उच्छिष्ठ के निस्तारण हेतु ग्राम सांगानेर के निकट सिंदरी के बालाजी के मंदिर के पास नगर परिषद् द्वारा भूमि आरक्षित करवा ली है। कोटा में भी नगर निगम, कोटा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ निस्तारण हेतु ग्राम बालिता में भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।

वित्त एवं लेखे

वर्ष 2001-2002 के दौरान मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

आय			व्यय		
क्र. सं.	विवरण	आय (लाख रुपये)	क्र. सं.	विवरण	व्यय (लाख रुपये)
1.	के.प्र.नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	9.90	1.	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	290.31
2.	जल उपकर	320.86	2.	कार्यालय व्यय	47.26
3.	सम्मति शुल्क	490.28	3.	प्रयोगशाला व्यय	0.66
4.	बैंक व पी.डी. खाते से ब्याज	80.28	4.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	2.77
5.	अग्रिमों से ब्याज	0.93	5.	अनुसंधान एवं विकास	565.58
6.	विविध आय	1.18	6.	ऋण एवं अग्रिम	4.53
7.	वसूली	9.01	7.	पूंजीगत व्यय	47.17
8.	विश्व बैंक	402.50			
	योग	**1,314.94**		**योग**	**958.28**

वर्ष के दौरान आई.पी.पी.पी. (विश्व बैंक) परियोजना के अन्तर्गत कुल 402.50 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से राज्य मण्डल द्वारा 309.57 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष के दौरान जोनिंग एटलस परियोजना के अन्तर्गत 18,892 रुपये का व्यय किया गया।

वर्ष के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत 88,83,482.22 रुपये एकत्रित किये एवं 90,49,294.22 रुपये केन्द्रीय सरकार को भिजवाये। केन्द्र सरकार की जल उपकर पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत मण्डल को केन्द्र सरकार से 3,20,85,893.00 रुपये का पुनर्भरण प्राप्त हुआ।

विशेषज्ञों/महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राएं

दिनांक 24.04.2001 को राज्य मानवाधिकार आयोग ने पाली का भ्रमण किया।

मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप

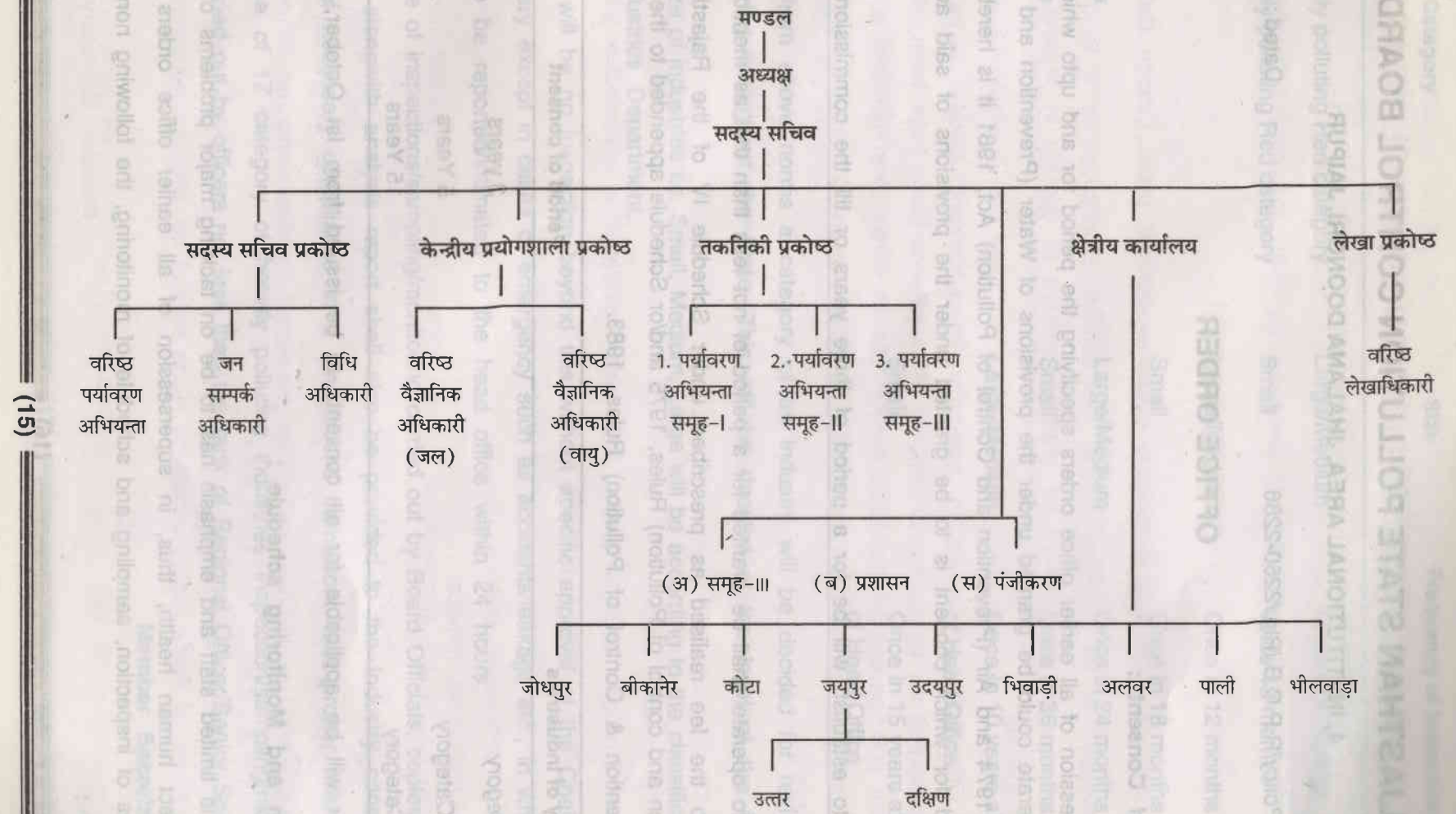

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (15) Policy/R.P.C.B./Plg./2260-2286 Dated : 10.08.2001

OFFICE ORDER

1. Period of Consent :

In supersession of all earlier office orders specifying the period for and upto which consent to establish/operate could be granted under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 it is hereby directed that the period for which consent is to be granted under the provisions of said acts will be as follows :

(a) Consent to establish will be for a period of three years or till the commissioning of the unit.

(b) Consent to operate shall be granted for a period of not less than that as mentioned below subject to the fee realised as prescribed under Schedule IV of the Rajasthan Water (Prevention and control of Pollution) Rules, 1975 and/or Schedule appended to the Rajasthan Air (Prevention & Control of Pollution) Rules, 1983.

S.No.	Category of Industries	Period of consent
1.	Red Category	3 years
2.	Orange Category	5 Years
3.	Others Category	15 Years

(c) This order will be applicable for all consents to be issued from Ist October, 2001.

2. Inspection and Monitoring schedule :

(a) As there is limited staff and emphasis has to be on tackling major problems of pollution, which affect human health, thus, in supersession of all earlier office orders regarding frequencies of inspection, sampling and schedule of monitoring, the following norms will be applicable :

S. No.	Category	Size	Frequency of inspection & sampling
1.	17 highly polluting Red category	Large/Medium	Once in 6 months
2.	17 highly polluting Red category	Small	Once 12 months
3.	Red	Large/Medium	Once in 12 months
4.	Red	Small	Once in 18 months
5.	Orange	Large/Medium	Once in 24 months
6.	Orange	Small	Once in 36 months
7.	Other	Large/Medium	Once in 10 years after approval of Head Office
8.	Other	Small	Once in 15 years after approval of Head Office

(b) Apart from above norms a category of an industry will be decided for review/inspection/ monitoring throughout the State. This will be decided at the level of the Chairman.

(c) The size of industries i.e. Small, Medium, Large will be according to the classification followed by Industries Department.

(d) There will be no inspection beyond this without specific approval of the Chairman/Member Secretary except in cases of emergency such as accidents/leakage etc., in which the same has to be reported/intimated to the head office within 24 hours.

(e) In case of inspections/sampling/monitoring carried out by Board Officials, copies of inspection report alongwith analysis report shall also be provided to the Industry concerned with a note of necessary compliance in a time bound framework with proper acknowledgement.

(f) In case of 17 category of heavily polluting industries inspection/sampling/monitoring shall be carried out by officers not less than the rank of Regional Officer/Senior Scientific Officer.

Member Secretary

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (15) Policy/R.P.C.B./Plg./2375-2402 Dated : 24.08.2001

OFFICE ORDER

Sub. : Grant of consent to operate to industries covered under Orange Category.

In supersession of all previous orders, instruction/direction/guidelines it is directed that following procedure shall be followed for granting consent to operate in respect of Orange Category of industries.

1. Regional Officer after scrutinizing the application forms alongwith affidavit as per annexure-I and finding that the application is complete in all respect, forms have been correctly filled in and the pollution control standards on the face of it has been correctly complied with and the prescribed fee has been deposited, shall issue consent to operate in format enclosed at annexure-II.

2. These orders shall not be applicable in respect of following industries covered under orange category :

   (a) Mineral grinding units.
   (b) Stone crushers, brick kilns, lime kilns and hydrated lime manufacturing units.
   (c) Marble/stone cutting & polishing units.
   (d) Hotels.
   (e) Battery processing unit.
   (f) Induction/cupola furnace.
   (g) Textile units.

   for which separate orders are being issued.

3. Consent to operate in respect of Orange category of industries shall be granted for a period of 5 years subject to the fee realised as mentioned in office order no. F.14 (15) Policy R.P.C.B./Plg./2260-2286 dated 10.08.2001.

The compliance of these orders should be made without fail and any noncompliance shall be viewed seriously.

Member Secretary

On Non-Judicial Stamp of Rs. 10/- **CONSENT TO OPERATE**

Proforma of Affidavit to be attached with Application for Consent to Operate under Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended to date and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended to date for Orange and Other Category.

AFFIDAVIT

I, ... (with name and designation) S/O Shri ....., R/O ..... do solemnly affirm and declare as under :

1. That I am responsible for operating the unit named M/S. ..... (name & address of the unit).

2. That I, ... (with name & designation) an authorised to sign the consent application form and other enclosure with the application.

3. That the plot area of the unit is ..... Sq. Meters.

4. That the number of workers to carry out various activities in the unit is ..... .

5. That the total number of employees is the unit is ..... .

6. That the total capital invested on the project in the Rupees ..... .

7. That there is no effluent discharge from the premises (applicable only in the case of dry unit).

8. That all adequate measure to control water/air pollution from the various processes/activity treatment has been taken to meet the prescribed standards as pre the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended to date.

9. That all the consent condition mentioned in the previous consent order have been complied.

10. That the adequate Pollution Control Measures has been installed to meet the prescribed standards.

11. That the adequate Emission Control System (E.C.S.), has been installed to meet the prescribed standards.

12. That for the Diesel Generator Sets(s) (of capacity ..... K.V.A.) acoustic enclosure/ acoustic treatment has been provided to meet the prescribed norms w.r.t. noise as pre the Gazette Notification of Ministry of Environment & Forests, Government of India, Dated 02.01.1999. Adequate stack height with D.G. Sets(s) has also been provided and maintained.

Note : Please omit whichever is not applicable.

DEPONENT.

VERIFICATION

Verified at ..... on this ..... (day, month and year), that the above consents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT.

Note : The aforementioned Affidavit must be duly signed by the deponent and duly attested by the Notary Public thereof.

ANNEXURE-I

On Non-Judicial Stamp of Rs. 10/- **FOR CONSENT TO ESTABLISH**

Proforma of Affidavit to be attached with Application for Consent to Establish under Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended to date and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended to date for Orange and Other Categories.

AFFIDAVIT

I, ... (with name and designation) S/O Shri ....., R/O ..... do solemnly affirm and declare as under :

1. That I am responsible for establishing/operating the unit named M/S. ..... (name & address of the unit).

2. That I, ... (with name & designation) an authorised to sign the consent application form and other enclosure with the application.

3. That the plot area of the unit is ..... Sq. Meters.

4. That the number of workers prposed to carry out various activities in the unit is/are ..... .

5. That the total number of employees in the unit is ..... .

6. That the total capital investment prposed on the project is Rupees ..... .

7. That there is no effluent discharge from the premises (applicable only in the case of dry unit).

8. That all adequate measure to control water/air pollution from the various processes activities shall be taken to meet the prescribed standards as pre the Environment (Protection) Rules. 1986 as amended to date.

9. That the adequate Pollution Control Measures (if required) shall be provided to meet the prescribed standards.

10. That the adequate Emission Control System (E.C.S.), (if required) shall be provided to meet the prescribed standards.

11. That the adequate pollution control measures shall be taken to meet the prescribed ambient noise standards.

12. That if Diesel Generator Sets(s) (of capacity 5 K.V.A. or more) shall be installed it will be Eco-friendly or with inbuilt acoustic enclosure to meet the prescribed norms w.r.t. noise as pre the Gazette Notification of Ministry of Environment & Forests, Government of India, Dated 02.01.1999. Adequate stack height with D.G. Sets(s) shall also be provided and maintained and shall submit noise monitoring, report.

13. That the membership of the of existing and/or likely to the setup by any society of the industrial area shall be taken.

Note : Please omit whichever is not applicable.

DEPONENT.

VERIFICATION

Verified at ..... on this ..... (day, month and year), that the above consents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT.

Note : The aforementioned Affidavit must be duly signed by the deponent and duly attested by the Notary Public thereof.

ANNEXURE-II

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOUNGRI, JAIPUR

No. :

Date :

"Consent to Operate" under section 21 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended to date and rules & orders made thereof and under section 26/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended to date and rules & orders made thereof (hereinafter to be referred as Air Act & Water Act respectively) is granted to M/s. ..... under the provisions of the said Act(s). The unit falls under 'Orange Category' as identified by Rajasthan State Pollution Control Board. This consent is granted subject to the provisions of the said acts and the rules and the orders that may be made further and based on the information provided in the consent application along with the documents received on this office on ..... and the information thereof and subject to the following terms and conditions :

1. The consent to operate is granted for a period of five years and valid upt ..... .

2. The consent is valid for the activity of ..... .

3. (i) That the industry shall install pollution control measures and shall achieve the prescribed emission/effluent standards which are given hereunder :

Water	Air
pH	SPM
.....	.....

(ii) The quantity of effluent from the unit shall not exceed ..... .

(iii) Effluent disposal : All streams carrying effluent shall be combined in a single stream for final discharge into the terminal manhole. All the individual streams and also the combined stream shall be maintained in good condition. The combined stream shall be provided with suitable flow measuring device.

(iv) Terminal Manhole shall be provided at the end of the collection system within the premises with adequate arrangement for measuring the flow and collection of effluent samples. Effluent shall be admitted into the drain only through a single designated outlet from the terminal manhole and no effluent shall be discharged into the drain through bypass.

4. That the following standards of air emissions shall be complied with :

S.No.	Source	Standards (mg/.....)

5. (i) The consentee shall ensure the proper channelisation/control system for fugitive emissions from the various activities/processes are maintained in good condition and operated properly so as to maintain clean and safe environment in and around the premises of the unit.

(ii) The consentee shall comply with the norms laid down vide Gazette Notification of Ministry of Environment and Forests, Government of India, Dated 02.01.1999, for the D.G. Set of capacity ..... KVA (installed in the unit) as stated below :

(a) Noise from the Diesel Generator Sets shall be controlled by providing an acoustic enclosure or by treating the room acoustically.

(b) The acoustic enclosure/acoustic treatment of room should be designed for minimum 25 dB(A) Insertion Loss or for meeting the ambient noise standards, whichever is on the higher. The measurement for Insertion Loss may be done at different points at 0.5 metre from the acoustic enclosure/room and then averaged.

(c) The Diesel Generator Sets should also be provided with proper exhausts muffler with Insertion Loss of minimum 25 dB(A).

(d) The stack height for the Diesel Generator Sets shall be as below :

Height of stack=Height of Building+$\sqrt{\text{KVA of D.G. Set.}}$

(in metres) (in metres)

(iii) The consentee shall ensure that noise from the unit does not exceed the prescribed noise standards for industrial area i.e. 75 dB(A) Leq during day time and 70 dB(A)

Leq during night time to meet the prescribed ambient noise standards. Day time is reckoned in between 6 a.m. and 9 p.m. and night time is reckoned between 9 p.m. and 6 a.m.

6. The consentee shall comply with all the conditions and instructions as provided in the General Conditions of consent for effluent discharge under Water Act and emission discharge under Air Act (enclosed with this consent order).

7. The consent is valid subject to fulfillment of all the other statutory requirements in other Lows/Acts/Rules as applicable.

8. The consentee shall apply for revision/grant of consent in case of any change in the process, products etc. or any deviation from the submitted information to this office.

9. The consentee shall make an application for renewal of consent to operate under Air Act and Water Act in prescribed forms in triplicate at least 90 days before expiry of this consent order.

10. In case of failure to comply with any of the consent conditions stated as above, the consent issued to the industry shall automatically stands revoked without any notice.

11. Notwithstanding anything contained in this letter of consent the State Board hereby reserves to it the right and powers under section 21(6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended to date and under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended to date to review anyone/or all the conditions imposed hereinabove and to make such variations as deemed fit for the purpose of these Acts by the State Board.

12. The consent is granted to aforesaid unit to ensure control of pollution from the premises of the unit in accordance with various pollution control acts and in no way confers the right to the unit to exist in violation of other laws and statutory provisions.

13. That this consent to establish/operate shall in no way be treated as clearance for conversion of land and land conversion shall be done by the district administration as per the relevant laws.

Regional Officer

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (15) Policy/R.P.C.B./Plg./2403-2430 Dated : 24.08.2001

OFFICE ORDER

Sub. : Grant of consent to Operate/establish to industries covered under Other Category.

In supersession of all previous orders it is directed that following procedure shall be followed for granting consent to establish/operate in respect of other category of industries.

1. Regional Officer after scrutinizing the application forms alongwith affidavit as per annexure-I and finding that these have been correctly filled in and the prescribed fee has been deposited, shall issue consent to operate in the format enclosed at annexure-II.

2. Consent to operate to other category of industries shall be granted for a period of 15 years subject to the fee realised as mentioned in office order No. F. 14 (15) Policy/R.P.C.B./ Plg./2260-2286 dated 10.08.2001).

3. The compliance of these orders should be made without fail and any non-compliance shall be viewed seriously.

Member Secretary

ANNEXURE-II

FORMAT FOR ACKNOWLEDGEMENT AND CONSENT

From :

To :

The Regional Officer,
Rajasthan Pollution Control Board
.....

M/s. .....
.....

Date :

We hereby acknowledge the receipt of your application for consent to establish dated ..... received in the office of RPCB on ..... along with fee and undertaking/ declaration.

You are hereby granted consent to Establish/Operate. The consent shall be valid from ..... to .....

The Consent shall be subject to the following conditions :

I. That the proposed industry shall install pollution control measures as per the proposals submitted and shall achieve the prescribed emission/effluent standards which are give hereunder :

.....

Water	Air
.....	
pH	SPM
.....	.....
.....	.....

II. That the existing unit shall operate the ETP regularly and shall comply with the standards mentioned above.

III. That all orders, directions guidelines and standards laid down by the Board from time to time shall be complied with.

IV. That any incorrect information submitted in the consent application form or declaration shall make the industry liable for legal action under section 42 of the water and section 38 of the Air Act.

V. That emission/effluents found to be discharged in excess of the Standards prescribed shall be punishable under section 37 of the Air Act and under Section 43 of the Water Act.

VI. This consent to establish/operate shall in no way be treated as clearance for conversion of land and land conversion shall be done by district administration as per the relevant laws.

VII. .....

Regional Officer

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (27) Policy/RPCB/Plg./2554-2615 Date : 24.08.2001

OFFICE ORDER

Marble, granite and stone processing units in the state are causing significant amount of pollution by dumping slurry either along roadsides or on un-identified sites in a haphazard manner. This slurry after drying becomes air-borne in summer due to buoyant forces causing air pollution and also causes hindrance to rain water flow when dumped in natural water courses and affects water quality. It also affects the quality of topsoil. The conditions provided under under Air and Water Act is not being complied with, for purposes of clarity, uniformity and transparency industry specific conditions are necessary.

Hence in supersession of all previous orders/instructions, the conditions to be implemented by marble, granite and stone processing units shall be as follows :

(1) That no waste water in the form of slurry or solid waste shall be allowed to be discharged outside factory premises.

(2) That the slurry or solid waste shall be disposed off either at the site approved by the District Collector, RIICO or within their own premises. Maps shall be provided indicating location of disposal site by the unit.

(3) No further consent to establish/operate will be given till these conditions are met.

Member Secretary

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (31) Policy/R.P.C.B./Plg./2493-2553 Dated : 24.08.2001

OFFICE ORDER

In supersession of all the earlier orders/instructions/directions/guidelines issued by the Board so far, following guidelines w.r.t. pollution problems from Hotels shall, hence-Forth be followed :

1. Categorisation of hotels shall be as follows :

   (a) Hotels having capacity of 100 beds and above and those hotels irrespective of their capacity which are amidst in any water body or which are located within 200 mts. of HFL of any lake, reservoir, river or water body would fall under red category.

   (b) Hotels having capacity form 51 to 99 beds shall fall under orange category.

   (c) Hotels having capacity upto 50 beds shall fall under other category.

2. Requirement of consent under Water/Air Act :

   (a) Only those hotels alling under red category and having D.G. Set of capacity above 200 KVA and/or boiler shall require consent under Air Act.

   (b) All hotels be it of red/orange/other category would require consent under Water Act.

   (c) Periodicty of consent under Water/Air Act and so also criteria of inspection shall be the same as is with respect to the category of industry.

3. Requirement of Pollution Control Measures :

   (a) All hotels are required to obtain sewer connection, wherever sewer line exists.

   (b) Every hotel will be connected to septic tank or sewer line or will have its own STP.

(c) Discharge of effluent by and hotel into a public drain or sewer shall comply with the general standards for discharge into public sewer as provided for under Schedule VI of Environment (Protection) Rules.

(d) Hotel having capacity above 75 beds will provide oil & grease trap for the removal of oil & grease from waste water generated from kitchen/restaurant.

(e) For paying guest houses (as defined by Rajasthan Tourism Project Act, 1999), seperate orders will be issued.

Member Secretary

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR

No. F. 14 (31) Policy/R.P.C.B./Plg./4548-4607 Dated : 31.12.2001

OFFICE ORDER

In continuation of office order No. F. 14 (31) Policy/R.P.C.B./Plg./2403-2552 dated 24.08.2001, it is clarified that with regard to the requirement of pollution control measures and subsequent disposal of the treated effluents, following guidelines shall be strictly followed while dealing with consent applications :

(1) In case of such hotels existing on the date of this order located in congested area or cities where no land is available for treatment of waste water and if such hotels are connected with sewers, they may be allowed to discharge their waste water into sewer after achieving sewer standards.

(2) Hotels having bed capacity of 100 and above and not located in congested area as stated above shall have complete effluent treatment plant so as to meet the stream standards as prescribed under E.P. Rules, 1986.

(3) The High Flood Level (H.F.L.) of a water body shall mean the highest water level reached at its maximum storage capacity or as is identified by the Department of Irrigation or local administration.

(4) Hotels which are located towards embankment of a water body across a public road or on the side of downstream of embankment shall not be covered under red category provided their capacity is less than 100 beds and these hotels shall be regulated according to the norms laid down for orange and other category of hotels.

(5) All hotels/restaurants cafeteria and guest houses irrespective of bed or accommodation capacity if located amidst water body or on the bank shall be treated in red category and will be required to maintain stream standards.

(6) The location guidelines of the Board will apply and will be strictly adhered to.

(7) The notification regarding no construction zone shall remain in force as per Circuler No. F. 12 (30-303) R.P.C.B./Udaipur/1397-1407 dated 28.06.2001.

(8) All hotels to be established having bed capacity of 100 and above shall be given consent to establish only when they make provisions for Effluent Treatment. In case where capacity is shown as less only to avoid ETP the Board may impose condition in consent to establish to meet these standards.

Member Secretary

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

4, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूँगरी, जयपुर

क्रमांक : एफ. 14 (38) पोलिसी/रा.प.नि.सं./योजना/4473-4536 दिनांक : 26.12.2001

कार्यालय आदेश

पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में स्टोन क्रेशर इकाईयों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। ये दिशा-निर्देश संलग्न परिशिष्ट-'अ' के अनुसार है।

सभी संबंधित को आदेश दिये जाते हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे/सुनिश्चित करेंगे।

सदस्य सचिव

स्टोन क्रेशर इकाईयों के लिए दिशा-निर्देश

1. स्टोन क्रेशर की नई इकाईयां रीको द्वारा स्थापित/विकसित औद्योगिक क्षेत्र से न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी पर लगाये जा सकते हैं।

2. स्टोन क्रेशर्स इकाईयों की सड़कों के केन्द्र से न्यूनतम दूरी इस प्रकार होनी चाहिए :

(अ) राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग से	:	500 मीटर
(ब) राज्य उच्च राजमार्ग से	:	300 मीटर
(स) ग्राम सड़क (विलेज रोड से)	:	200 मीटर

3. आवासीय क्षेत्रयों से स्टोन क्रेशर उद्योगों की न्यूनतम दूरी इस प्रकार होनी चाहिए :

(अ) 200 तक	:	300 मीटर
(ब) 201 से 500 तक	:	500 मीटर
(स) 501 से 1,000 तक	:	1 किलोमीटर
(द) 1,000 से अधिक	:	2 किलोमीटर

4. क्रेशर के समूह (कलस्टर) के चारों ओर 50 मीटर तक छायादार वृक्ष लगाये जाने चाहिये। उक्त वृक्षारोपण के लिये भूमि उस विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी/आरक्षित की जानी चाहिये, जो इकाईयों को समूह (कलस्टर) के रूप में भूमि का आवंटन करता है, अथवा इस हेतु भू उपयोग परिवर्तित करता है।

5. डक्ट एवं ट्रांसफर पोइन्ट्स, जो ढके हुए (कवर) नहीं हैं, पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।

6. जहां तक सम्भव हो, जो क्रेशर व अन्य ट्रांसफर पोइन्ट्स को ढका (कवर किया) जाना चाहिये। छोटे क्रेशर में, वहां हापर से क्रेशर से कच्चा माल हाथों द्वारा (मैन्यूअली) फीड किया जाता है, जो क्रेशर को ढकने की अनिवार्यता से मुक्त रखा जा सकता है, परन्तु ट्रांसफर पोइन्ट्स को ढका जाना चाहिये।

7. वायु अवरोधक दीवार या टीन से अवरोधक बनाने की व्यवस्था की जावेगी।

सदस्य सचिव